कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 1750/2017 श्रीमती शर्मिला यादव बनाम श्रीमान निदेशक प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2018 में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व मुख्य रूप से अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश प्रदान किया गया कि अपीलार्थी उक्त आदेश के 15 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी/संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिए गए कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देश/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के एक माह के भीतर नियमानुसार विचार कर एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया जावे।

अपीलार्थी श्रीमती शर्मिला यादव को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर विभागीय आदेश दिनांकः 16.10.2017 द्वारा राआउमावि–कोहिना, तारानगर चुरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 26.10.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

माननीय अधिकरण के अपील संख्या 1750/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2018 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में काउन्सलिंग के समय राउमावि–खुन्दरोठ, नीमराना, अलवर, राबाउमावि–रामगढ, अलवर को रिक्तियों में प्रदर्शित नहीं किये जाने और तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा विवश होकर राउमावि कोहिना, तारानगर, चुरू हेतु अपनी सहमति देने सम्बन्धी शिकायत करते हुए अपना पदस्थापन अलवर जिले में राआउमावि–रायसराना, नीमराना अथवा राआउमावि–रोडवाल, नीमराना, अलवर किये जाने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थी श्रीमती शर्मिला यादव से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय नियमानुसार महिला वर्ग का लाभ देकर ही वरिष्ठतानुसार काउन्सलिंग की गई थी और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान हेतु सहमति प्रदान की गई थी। जहां तक अपीलार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो **शासन के पत्र क्रमांकः प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांकः 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं।** काउन्सलिंग के दौरान रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। **उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदोन्त प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है।** इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। इसी को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी **श्रीमती शर्मिला यादव, प्रधानाचार्य राउमावि–कोहिना, तारानगर, चुरू का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/शर्मिला यादव/अपील/1750/2017 दिनांकः 06.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।

2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान ।
8 .संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)